# डा0 वी0 आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी संस्थान अम्बोटा, तहसील अम्ब, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 4/2010 से 3/2015

## भाग–एक

### 1. गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही के अवलोकनोपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थी।

**(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2000 से 3/2005**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | पैरा संख्या 6 | निर्णीत | (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर) |
| 2. | पैरा संख्या 7 | निर्णीत | (सम्पूर्ण राशि ₹16196 की प्रतिपूर्ति तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से करने की पुष्टि कर ली गई) |
| 3. | पैरा संख्या 8 | अनिर्णीत | |
| 4. | पैरा संख्या 9 (क) | अनिर्णीत | |
| 5. | पैरा संख्या 10 | निर्णीत | (सामान का क्रय अलग–अलग तिथियों को करने की पुष्टि कर ली गई है) |
| 6. | पैरा संख्या 12 | निर्णीत | (अनुपालना की पुष्टि कर ली गई है) |
| 7. | पैरा संख्या 13 (क) | निर्णीत | (अनुपालना की पुष्टि कर ली गई है) |
| 8. | पैरा संख्या 14 (क) | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पैरा संख्याः 20 पुनः प्रारूपित) |
| 9. | पैरा संख्या 14 (ख) | निर्णीत | (रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर की पुष्टि कर ली गई है) |

**(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2010**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | पैरा संख्या 3 | निर्णीत | (अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने के दृष्टिगत) |
| 2. | पैरा संख्या 4 | निर्णीत | (स्वतः निर्णीत) |
| 3. | पैरा संख्या 5 | निर्णीत | (₹23450 के समायोजन लेखों की पुष्टि कर ली गई है) |
| 4. | पैरा संख्या 6 | निर्णीत | (₹1946 की जगह ₹1957 तकनीकी शिक्षा बोर्ड से प्राप्त कर लिए जाने की पुष्टि कर ली गई है) |
| 5. | पैरा संख्या 7 | अनिर्णीत | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | पैरा संख्या 8 | निर्णीत | (नीलामी उपरान्त प्राप्त राशि ₹3183 जमा करवाने की पुष्टि कर ली गई है) |
| 7. | पैरा संख्या 9 | निर्णीत | (अनुपालना की पुष्टि कर ली गई है) |
| 8. | पैरा संख्या 10 | निर्णीत | (वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में पैरा संख्याः 20 पुनः प्रारूपित) |

## भाग–दो

## 2. वर्तमान अंकेक्षण :–

डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी संस्थान अम्बोटा के वर्तमान निधि लेखों का अंकेक्षण श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी व सुशील कुमार, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 18.2.2016 से 27.2.2016 तक अम्बोटा में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं। विस्तृत जांच हेतु आय के लिए मास 7/10, 1/12, 7/12, 1/14 व 1/15 व व्यय के लिए मास 6/10, 11/11, 12/12, 3/14 व 11/14 का चयन किया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण को प्रदान सूचनाओं व प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना ही न प्रदान करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व नहीं है; विभाग का उत्तरदायित्व केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

**(ख) वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत थे:–**

| क्र0 सं0 | आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री एस0 के0 गौतम | 1.4.2010 से 6.6.2012 |
| 2. | श्री प्रेम प्रकाश शर्मा | 7.6.2012 से अघतन |

## 3. अंकेक्षण शुल्क :–

डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी संस्थान अम्बोटा के अवधि 4/2010 से 3/2015 तक विभिन्न निधियों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹14400 आंका गया।

अंकेक्षण शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट संख्याः 696527, दिनांक 29.2.2016 द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को भेज दी गई।

## 4. वित्तीय स्थिति :–

डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी संस्थान अम्बोटा के अवधि 4/2010 से 3/2015 तक छात्र कल्याण निधि व प्रतिभूति निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

**(1) छात्र कल्याण निधि**

| वित्तीय वर्ष | प्रारम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्त शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 7961679.65 | 3493689 | 483527 | 11938895.65 | 1622341 | 10316554.65 |
| 2011–12 | 10316554.65 | 6975628 | 590911 | 17883093.65 | 5372112 | 12510981.65 |
| 2012–13 | 12510981.65 | 7239191 | 861299 | 20611471.65 | 5344561 | 15266910.65 |
| 2013–14 | 15266910.65 | 7564219.95 | 969251 | 23800381.60 | 5644681.70 | 18155699.90 |
| 2014–15 | 18155699.90 | 8064817.20 | 2196453 | 28416970.10 | 5717322.20 | 22699647.90 |

**बैंक समाधान विवरण**

रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को अन्तिम शेष ₹22699647.90

प्राप्ति व व्यय को दो बार रोकड़ वही में ईन्द्राज कर अन्तर
विस्तृत विवरण पैरा संख्याः 6 में वर्णित

| | | |
|---|---|---|
| **(i)** | रोकड़ वही में दो बार व्यय दर्शाना | (+) 20850 |
| **(ii)** | दिनांक 20.3.2013 को काटे गए बैंक प्रभार को रोकड़ वही में दो बार व्यय दर्शाना | (+) 25 |
| **(iii)** | रोकड़ लेन–देन प्रभार (Cash Handling Charges) जिसे बैंक द्वारा दिनांक 17.8.2011 को क्रेडिट किया गया व जिसे रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया | (+) 652 |
| **(iv)** | बैंक द्वारा स्त्रोत पर काटी गई आयकर की राशि बैंक द्वारा दिनांक 14.5.2013 को क्रेडिट को दिया गया, लेकिन रोकड़ वही में दो बार प्राप्ति दर्शाना | (–) 6059 |
| **(v)** | दिनांक 8.10.2013 को वास्तविक व्यय ₹109045 की जगह ₹109035 दर्ज करना | (–) 10 |
| **(vi)** | चैक संख्याः 354047 दिनांक 7.11.2013 को ₹2247 के लिए जारी किया गया, लेकिन रोकड़ वही में ₹2246 दर्ज किया गया | (–) 1 |
| **(vii)** | चैकों की राशि जोकि दिनांक 31.3.2015 तक बैंक से आहरित नहीं हुई है | (+) 17025 |

| क्र0 सं0 | दिनांक | चैक सं0 | राशि | बैंक का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.8.13 | 293604 | 320 | पी0एन0बी0 गगरेट |
| 2. | 30.9.14 | 809457 | 1250 | —यथोपरि— |
| 3. | 13.10.14 | 809464 | 502 | —यथोपरि— |
| 4. | 13.3.15 | 213533 | 55 | —यथोपरि— |
| 5. | 14.3.15 | 213542 | 55 | —यथोपरि— |
| 6. | 24.3.15 | 325699 | 1000 | —यथोपरि— |
| 7. | 24.3.15 | 213562 | 13843 | —यथोपरि— |
| | | योग | ₹17025 | |

**(viii)** दिनांक 31.3.2015 को सावधिक निवेश व बचत खातों में जमा शेष राशि 22732129.90

| क्र0 सं0 | खाता सं0 | बैंक का नाम | दिनांक 31.3.15 को शेष राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 3986000100022182 | पी0एन0बी0 गगरेट | 745897.90 |
| 2. | 65141591113 | एस0बी0पी0 गगरेट | 12499.00 |
| 3. | 32595709271 | एस0बी0आई0 गगरेट | 883767.00 |
| 4. | दिनांक 31.3.15 को विभिन्न बैंकों में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि | | 21089966 |
| | | | **₹22732129.90** |

<u>(2) प्रतिभूति निधिः—</u>

| वित्तीय वर्ष | प्रारम्भिक शेष | आय | ब्याज | कुल योग | व्यय | अन्त शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010—11 | 899883.71 | 362000 | 60351 | 1322234.71 | 274500 | 1047734.71 |
| 2011—12 | 1047734.71 | 270000 | 54651 | 1372385.71 | 215027.50 | 1157358.21 |
| 2012—13 | 1157358.21 | 314722 | 70117 | 1542197.21 | 268724 | 1273473.21 |
| 2013—14 | 1273473.21 | 256722.20 | 83220 | 1613415.41 | 355222.20 | 1258193.21 |
| 2014—15 | 1258193.21 | 729620.85 | 136497 | 2124311.06 | 640183.40 | 1484127.66 |

**बैंक समाधान विवरणः—**

| | |
|---|---|
| रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2015 को अन्त शेष | 1484127.66 |
| बैंकों में सावधिक निवेश व बचत खाते में दिनांक 31.3.2015 को शेष राशि | 1491127.66 |

| क्र0 सं0 | खाता सं0 | बैंक का नाम | दिनांक 31.3.2015 |
|---|---|---|---|
| 1. | 3986000100022164 | पी0एन0बी0 गगरेट | 109113.66 |
| 2. | सावधिक निवेश के अन्तर्गत दिनांक 31.3.2015 को पी0एन0बी0 गगरेट में निवेशित राशि | | 1382014 |
| | | योग | ₹1491127.66 |

**अन्तर 7000**

**अन्तर का कारण :— (क) निम्न चैक जारी हुऐ लेकिन बैंक से 31.3.2015 तक आहरित नहीं हुए।**

| क्र0 सं0 | दिनांक | चैक सं0 | राशि | बैंक का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.4.14 | 564698 | 1000 | पी0एन0बी0 गगरेट |
| 2. | 13.6.14 | 564760 | 1000 | |
| 3. | 17.6.14 | 344373 | 1000 | |
| 4. | 18.6.14 | 344387 | 1000 | |
| 5. | 23.2.15 | 344393 | 3000 | |
| | | **योग** | **₹7000** | |

## 5. सावधिक निवेश :—

छात्र कल्याण निधि व प्रतिभूति निधि से दिनांक 31.3.2015 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी संलग्न है।

**(i) छात्र कल्याण निधि**

| क्र0 सं0 | एफ0डी0 सं0 | निवेश की तिथि | निवेशित राशि | परिपक्वता तिथि | परिवक्वता राशि | ब्याज की दर | अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पी0 आर0 6695 | 23.4.14 | 2444450 | 23.4.15 | 2671988 | 9% | 1 वर्ष |
| 2. | पी0 आर0 3503 | 10.5.14 | 2641327 | 25.5.16 | 3462464 | 9% | 3 वर्ष 15 दिन |
| 3. | पी0 आर0 4886 | 10.5.14 | 1478361 | 10.5.15 | 1615972 | 9% | 1 वर्ष |
| 4. | पी0 आर 4011661 | 30.4.14 | 4189331 | 30.4.15 | 4579288 | 9% | 1 वर्ष |
| 5. | पी0 यू0 0002663 | 28.1.15 | 2500000 | 28.1.16 | 2726033 | 8.75% | 1 वर्ष |
| 6. | पी0 यू0 1451 | 27.10.14 | 3500000 | 27.10.15 | 3825792 | 9% | 1 वर्ष |
| 7. | 65186285412 | 17.1.15 | 163963 | 17.1.16 | 176433 | 8.8% | 1 वर्ष |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 326331944 | 1.11.15 | 1986367 | 1.11.15 | 2165961 | 8.75% | 1 वर्ष |
| 9. | डी0 पी0 11740 | 17.1.15 | 2186167 | 17.1.16 | 2383825 | 8.75% | 1 वर्ष |
| | **योग** | | **₹21089966** | | | | |

**(ii) प्रतिभूति निधि**

| **क्र0 सं0** | **एफ0डी0 सं0** | **निवेश की तिथि** | **निवेशित राशि** | **परिपक्वता तिथि** | **परिवक्वता राशि** | **ब्याज की दर** | **अवधि** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पी0 आर0 1405 | 18.10.14 | 214305 | 18.10.15 | 234253 | 9% | 1 वर्ष |
| 2. | पी0 आर0 5331 | 1.7.14 | 102162 | 1.7.15 | 111672 | 9% | 1 वर्ष |
| 3. | पी0 आर0 6710 | 23.4.14 | 326267 | 23.4.15 | 356637 | 9% | 1 वर्ष |
| 4. | पी0 आर 11680 | 30.4.14 | 279289 | 30.4.15 | 305286 | 9% | 1 वर्ष |
| 5. | डी0 पी0 00011077 | 18.1.15 | 327925 | 18.1.16 | 357574 | 8.75% | 1 वर्ष |
| 6. | डी0 ए0 0003521 | 10.5.14 | 132066 | 22.6.15 | 145875 | 9% | 1 वर्ष |
| | | **योग** | **₹1382014** | | | | |

उपरोक्त उल्लेखित सावधिक निवेशों के अन्तर्गत निवेशित राशियों को समय–समय पर परिपक्व करवाने उपरान्त प्राप्त ब्याज को सम्बन्धित रोकड़ वहियों में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 6. रोकड़ वही का समाधान न कर भुगताव व प्राप्तियों का गलत लेखांकन करना :–

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के अन्तर्गत रोकड़ वही का मासिक/वार्षिक समाधान/मिलान नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप छात्र कल्याण निधि रोकड़ वही व बैंक खातों में निम्न कारणों से अन्तर था।

**(क)** रोकड़ वही में वाउचर संख्याः 115, दिनांक 22.10.2014 को श्री मुनीश कुमार, प्रवक्ता को ₹20850 का मानदेय व्यय वाउचर संख्याः 118 द्वारा पुनः ₹20850 का व्यय दर्शाया गया, जबकि बैंक से राशि एक बार ही आहरित हुई।

**(ख)** निधि से दिनांक 1.11.2013 को ₹17 लाख एक वर्ष की अवधि हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गगरेट में निवेशित थे। उक्त निवेशित राशि की परिपक्वता दिनांक 1.11.2014 को बैंक द्वारा स्त्रोत पर काटे गए आयकर ₹6059 का क्रेडिट दिनांक 14.5.2014 को दिया था, जिसकी प्रविष्टि रोकड़ वही में प्राप्ति में दर्शा दी थी, लेकिन परिपक्वता दिनांक 1.11.2014 को अर्जित ब्याज ₹133564 की

जगह ₹139625 की प्रविष्टि रोकड़ वही में करने के फलस्वरूप ₹6059 (₹139625–₹133564) को दोहरी प्रविष्टि रोकड़ वही में प्राप्ति पक्ष में हुई।

**(ग)** बैंक द्वारा दिनांक 20.3.2013 को बैंक प्रभार के रूप में ₹25 की राशि काटी गई, लेकिन रोकड़ वही में यह राशि दो बार दिनांक 3.4.2013 व 5.6.2013 को व्यय पक्ष में प्रविष्टि की गई।

**(घ)** बैंक खाते में दिनांक 17.8.2011 को रोकड़ वही लेन–देन प्रभारों (Cash Handling Charges) के रूप में ₹652 का क्रेडिट दिया, लेकिन राशि रोकड़ वही में प्राप्ति के रूप में ईन्द्राज नहीं की गई।

**(ण)** दिनांक 8.10.2013 को व्ययों का वास्तविक योग ₹109045 बनता है, जो रोकड़ वही में ₹109035 ईन्द्राज कर ₹10 कम व्यय दर्शाया गया।

**(च)** दिनांक 7.11.2013 को वास्तविक चैक द्वारा व्यय ₹2247 रोकड़ वही में ₹2246 ईन्द्राज कर ₹1 का कम व्यय दर्शाया गया।

उपरोक्त प्रकरणों में रोकड़ वही में गलत प्रविष्टियों व मासिक/वार्षिक समाधान/मिलान न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व लेखों का मासिक/वार्षिक समाधान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त दर्शित गलत प्रविष्टियों की समायोजन प्रविष्टियां रोकड़ वही में दर्शाकर व मिलान कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 7. कालातीत/समयावधि समाप्त चैकों की राशि को रोकड़ वही के आय पक्ष में लेखांकन न करना :–

छात्र कल्याण निधि व प्रतिभूति निधि की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार छात्र कल्याण निधि व प्रतिभूति निधि से चैक जारी किए गए थे व जिनकी समयावधि समाप्त हो कालातीत हो चुके थे। नियमानुसार जारी किए गए चैकों को भुगतान हेतु तीन माह की अवधि के भीतर बैंक को प्रस्तुत नहीं किया हो तो जारी किए गए सभी चैकों की समयावधि समाप्त हो जाती है समय अवधि समाप्त हो जाने के उपरानत जारी किए गए चैकों की राशि को रोकड़ वही के आय पक्ष में ईन्द्राज करना अपेक्षित था, ताकि रोकड़ वही के शेष का बैंक के शेष के साथ मिलान सम्भव हो सके, लेकिन संस्था द्वारा कालातीत चैकों की राशि का सम्बन्धित रोकड़ वहियों के आय पक्ष में लेखांकन नहीं किया, जोकि एक वित्तीय अनियमितता है। अतः कालातीत चैकों की राशि को सम्बन्धित रोकड़ वहियों के आय पक्ष में ईन्द्राज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व कालातीत चैकों की राशि का सम्बन्धित रोकड़ वहियों में लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। कालातीत चैकों की राशि का विवरण निम्नानुसार है।

| क्र0 सं0 | निधि का नाम | चैक सं0 | दिनांक | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | छात्र कल्याण निधि | 293604 | 5.8.13 | 320 |
| 2. | –यथोपरि– | 809457 | 30.9.14 | 1250 |
| 3. | –यथोपरि– | 809464 | 13.10.14 | 502 |
| 4. | प्रतिभूति निधि | 564698 | 5.4.14 | 1000 |
| 5. | –यथोपरि– | 564760 | 13.6.14 | 1000 |
| 6. | –यथोपरि– | 344373 | 17.6.14 | 1000 |
| 7. | –यथोपरि– | 344383 | 18.6.14 | 1000 |
| | | | **योग** | **₹6072** |

## 8. छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में अन्य प्राप्तियों व भुगतानों का लेखांकन करनाः–

छात्र कल्याण निधि की जांच करने पर पाया गया कि निधि की रोकड़ वही में विभिन्न विभागों से प्राप्त छात्रवृत्तियों व मानदेय इत्यादि को आय दर्शाकर भुगतान दर्शाया गया, जिससे निधि की वास्तविक आय व व्यय का आकंलन सम्भव नहीं था। विभिन्न प्राप्तियों व भुगतान जो निधि से सम्बन्धित नहीं थे, के कुछ उदाहरण निम्न विवरणानुसार है।

| क्र0 सं0 | दिनांक | प्राप्ति का विवरण | राशि (₹) | दिनांक | दर्शाए गए व्यय का विवरण | वा0 सं0 | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.5.10 | निदेशक, तकनीकी शिक्षा सुन्दरनगर से प्राप्त छात्रवृत्ति बैंक ड्राफ्ट सं0ः 105934, दिनांक 31.3.10 | 36000 | 17.6.10 | छात्रवृत्ति का भुगतान (2400x15) | 136 | 36000 |
| 2. | 28.5.10 | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त छात्रवृत्ति बैंक ड्राफ्ट सं0ः 172883, दिनांक 17.5.10 | 11400 | 19.6.10 | छात्रवृत्ति का भुगतान | 140 | 11400 |
| 3. | 11.6.10 | सचिव, हि0 प्र0 तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला बैंक ड्राफ्ट संख्याः 383566, | 4715 | 30.6.10 | –यथोपरि– | 143 | 4715 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | दिनांक 9.3.10 को प्राप्त छात्रवृत्ति | | | | | |
| 4. | 16.6.10 | सचिव, हि0 प्र0 तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला बैंक ड्राफ्ट सं0: 352155, दिनांक 24.5.10 को प्राप्त छात्रवृत्ति | 1170 | 8.7.10 | –यथोपरि– | 144 | 1170 |
| 5. | 19.8.10 | सचिव, हि0 प्र0 तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से प्राप्त मानदेय बैंक ड्राफ्ट सं0: 352316, दिनांक 6.7.10 व ड्राफ्ट सं0: 352355, दिनांक 7.7.10 | 40360 | 14.9.10 | मानदेय का भुगतान | 173<br>1 | 16515 |

अतः विभिन्न प्राप्तियों व भुगतान हेतु पृथक रोकड़ वही तैयार की जाए व छात्र कल्याण निधि से केवल सम्बन्धित निधि की आय व व्यय का लेखांकन सुनिश्चित किया जाए, जिससे निधि की वास्तविक आय व व्यय का आकंलन हो सके। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 9. छात्र कल्याण निधि रोकड़ वही में प्रतिभूति व भवन निधि की आय व हस्तांतरण कर व्यय पक्ष में सम्मिलित करने बारे :–

छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में प्रतिभूति व भवन निधि की कुल प्राप्तियों कर व्यय दर्शाकर सम्बन्धित निधि की रोकड़ वही में हस्तांतरित किया गया, जोकि अनियमित था। संस्था द्वारा तैयार वित्तीय स्थिति सम्बन्धित निधि के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत नहीं करती। छात्र कल्याण निधि में सम्मिलित प्राप्तियों व तदानुसार हस्तांतरण के कुछ उदाहरण निम्न विवरणानुसार है।

| क्र0 सं0 | दिनांक | हस्तांतरित राशि, जिसे व्यय दर्शाया गया है | जिस निधि से क्रहस्तांतरित की गई | जिस निधि को हस्तांतरित की गई | जिस निधि में व्यय दर्शाया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.11.11 | 889000 | छात्र कल्याण निधि | भवन निधि | छात्र कल्याण निधि |
| | | 264000 | –यथोपरि– | प्रतिभूति निधि | –यथोपरि– |
| 2. | 21.12.12 | 142000 | छात्र कल्याण निधि | प्रतिभूति निधि | छात्र कल्याण निधि |
| | | 850000 | –यथोपरि– | भवन निधि | –यथोपरि– |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 10.10.13 | 176000 | छात्र कल्याण निधि | प्रतिभूति निधि | छात्र कल्याण निधि |
| | | 176000 | –यथोपरि– | भवन निधि | –यथोपरि– |
| 4. | 19.3.14 | 735500 | छात्र कल्याण निधि | भवन निधि | छात्र कल्याण निधि |

प्रतिभूति व भवन निधि की प्राप्तियों को सीधे सम्बन्धित रोकड़ वही में ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे निधि की वास्तविक आय व व्यय का आकंलन हो सके। कृत कार्रवाई से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 10. स्वयं हेतु चैक काटकर नकद में भुगतान :–

विभिन्न वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा कोई भी भुगतान स्वयं हेतु चैक काटकर राशि आहरित कर तदोपरान्त नकद रूप में भुगतान किया गया, जोकि वित्तीय नियमों की गम्भीर अवहेलना है। नियमानुसार ₹500 से अधिक के व्यय हेतु भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना अपेक्षित था। अतः पारदर्शिता एवं वित्तीय नियमों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से ₹500 से अधिक भुगतान चैक के माध्यम से किए जाने सुनिश्चित किए जाएं, ताकि वित्तीय लेन–देन में पारदर्शिता हो सके। अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वयं हेतु चैक काटकर नकद में किए गए भुगतानों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से है।

| क्र0 सं0 | दिनांक | चैक सं0 | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 17.6.10 | 891760 | 40000 |
| 2. | 14.9.10 | 891777 | 57500 |
| 3. | 29.10.10 | 891794 | 25000 |
| 4. | 20.11.10 | 891795 | 7584 |
| 5. | 11.3.11 | 395407 | 10000 |
| 6. | 7.4.11 | 395420 | 49088 |

## 11. अंकेक्षण अवधि के दौरान छात्र कल्याण निधि से किए गए व्ययों की छात्र कल्याण संघ से अनुमोदन प्राप्त न करना :–

हि0 प्र0 सरकार तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र संख्याः EDN (TE)A(3)2/2004, दिनांक 23.4.2012 की अधिसूचना के अनतर्गत छात्र कल्याण निधि से कोई भी व्यय करने से पूर्व छात्र कल्याण संघ से अनुमोदन करवाना अनिवार्य था, लेकिन अवधि 1.4.2012 से 31.3.2015 तक के दौरान छात्र कल्याण निधि से किए गए व्ययों को करने से पूर्व छात्र कल्याण संघ से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया व न ही छात्र कल्याण संघ से पारित प्रस्तावों का प्रस्ताव रजिस्टर तैयार

किया गया। अतः प्रस्ताव रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व तुरन्त प्रभाव से उक्त रजिस्टर का रख–रखाव किया जाए व छात्र कल्याण निधि से व्यय करने से पूर्व छात्र कल्याण संघ से अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 12. आधी कीमत पर स्पोर्ट्स किटों को बिना छात्रों को जारी किए हुए जारी किया हुआ दर्शाकर दुरूपयोग करने एवं ₹6876 की वसूली बारे :–

खेलों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार छात्र व छात्राओं को स्पोर्ट्स किटें आधी कीमत पर जारी की गई दर्शाई गई, लेकिन क्रम संख्याः 7 पर उल्लेखित 14 किटें, 12 पर उल्लेखित 16 किटें क्रम संख्याः 13 पर उल्लेखित 2 किटें व क्रम संख्याः 14 पर उल्लेखित 1 किट कुल 38 किटों को छात्र एवं छात्राओं द्वारा प्राप्त नहीं किया गया व स्टॉक शेष शून्य दर्शाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹6876 की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

| क्र0 सं0 | किट का विवरण | छात्र/ छात्राओं की सं0 | आधी कीमत दर | राशि | रसीद सं0 | जारी करने की तिथि | आधी कीमत स्टॉक्र रजिस्टर पेज सं0 | कर्मचारी का नाम, जिसके द्वारा राशि जमा करवाई गई | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लड़के ट्रैक सूट | 5 | 182 | 910 | 3652 | 29.5.10 | 59 | श्री योग राज | |
| 2. | क्रिकेट किट लड़के | 12 | 175 | 2100 | 1371 | 5.1.11 | 60 | –यथोपरि– | |
| 3. | वॉलीबॉल एवं बैडमिंटन किट लड़के | 13 | 84 | 1272 | 1371 | 5.1.11 | 61 | –यथोपरि– | |
| 4. | वॉलीबॉल एवं बैडमिंटन किट लड़कियां | 11 | 144 | 1584 | 1371 | 5.1.11 | 62 | –यथोपरि– | |
| 5. | एथलैटिक किट लड़के | 10 | 138 | 1380 | 4886 | 16.6.11 | 63 | –यथोपरि– | |
| | | 1 | 60 | 60 | | | | | |
| 6. | एथलैटिक किट लड़कियां | 6 | 138 | 828 | 4886 | 16.6.11 | 64 | –यथोपरि– | |
| 7. | वॉलीबॉल एवं बैडमिंटन | 30 | 184 | 5520 | 5555 | 3.12.11 | 65 | –यथोपरि– | क्रम संख्या 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | किट लड़कियां | | | | | | | | 14, 19, 20, 24, 25, 27 व 28 पर आधी कीमत पर जारी की गई किटें छात्राओं द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। वसूली योग्य राशि =184x14=2576 |
| 8. | स्पोर्ट्स किट लड़कियां | 14 | 202.50 | 2835 | 6847 | 16.11.12 | 3 | श्री योग राज | |
| 9. | स्पोर्ट्स किट लड़के | 38 | 112.50 | 4275 | 6874 | 28.12.12 | 4 | –यथोपरि– | |
| 10. | एथलैटिक किट लड़के | 14 | 270 | 3780 | 7453 | 15.6.13 | 6 | श्री अमित कुमार | क्रम संख्याः 4,5,10,11 व 12 पर उल्लेखित आधी कीमत पर जारी की गई। 5 किटें लड़कों द्वारा प्राप्त नहीं की गई। वसूली योग्य राशि =270x5=1350 |
| 11. | एथलैटिक किट लड़कियां | 10 | 280 | 2800 | 7454 | 15.6.13 | 7 | –यथोपरि– | |
| 12. | स्पोर्ट्स किट लड़के | 37 | 137.50 | 5087.50 | 8186 | 5.12.14 | 9 | श्री अमित कुमार | क्रम संख्याः 3,4,6,7,9, 10,11,13,16,18,19, 24,26,29,35 व 37 पर उल्लेखित आधी कीमत पर जारी की गई 16 किटें लड़कों द्वारा प्राप्त की गई है वसूली योग्य राशि =137. 50x16=2200 |
| 13. | एथलैटिक किट लड़के | 14 | 250 | 3500 | 8771 | 4.6.14 | 10 | –यथोपरि– | क्रम संख्याः 3 व 13 पर उल्लेखित आधी कीमत पर जारी की गई 2 किटें लड़कों द्वारा प्राप्त नहीं की गई है वसूली योग्य राशि =250x2=500 |
| 14. | एथलैटिक | 6 | 250 | 1500 | 8771 | 4.6.14 | 10 | –यथोपरि | क्रम संख्याः 3 पर |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | किट लड़कियां | | | | | | | – | उललेखित आधी कीमत पर जारी की गई 1 किट छात्रा द्वारा प्राप्त नहीं की गई है वसूली योग्य राशि =250X1=250 |
| 15. | एथलैटिक किट लड़कियां | 15 | 250 | 3750 | 9419 | 22.12.14 | 12 | –यथोपरि– | |
| 16. | स्पोर्ट्स किट लड़के | 38 | 137.50 | 5225 | 9420 | – | 14 | –यथोपरि– | |
| | | | **योग** | **₹46406.50** | | | | **कुल वसूली योग्य राशि =₹6876** | |

## 13. औपचारिकताएं पूर्ण न कर ₹5.29 लाख का अनियमित भुगतान :–

संस्थान के छात्र कल्याण निधि के व्यय लेखों की जांच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित फर्मों को विभिन्न प्रकार का सामान क्रय करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई थी।

| क्र0 सं0 | वा0 सं0/ माह/दिनांक | फर्म का विवरण | क्रय सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 126 15.3.13 | मैसर्ज वशिष्ठ इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स वर्क्स ऊना | वॉटर कूलर 80 लीटर | 3 | 37800 | 113400 |
| | | | | | वैट 4% | 4536 |
| | | | | | **योग** | **₹117936** |
| 2. | 130 15.10.13 | न्यू गुरू नानक फर्नीचर हाउस, ऊना | कॉन्फ्रैन्स टेवल | 60 (रनिंगफुट) | 1805 | 108300 |
| | | | पैन्लिंग वर्क्स (दीवार) | 400 (वर्ग फुट) | 188 | 75200 |
| | | | वुडन कैबिनेट | 70 (वर्ग फुट) | 752 | 52640 |
| | | | | | | 236140 |
| | | | | | वैट 5% | 11807 |
| | | | | | **योग** | **₹247947** |
| 3. | 171 10.2.14 | मैसर्ज जय मां काली इण्टरप्राईजिज अम्बोटा, तहसील अम्ब, जिला ऊना | कान्फ्रैन्स हॉल कुर्सियां | 60 | 2450 | 14700 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| रिवॉलविंग कुर्सी | 1 | 8700 | 8700 |
| | | | 155700 |
| | | वैट 5% | 7785 |
| | | **योग** | 163485 |

**क्रम संख्या (1) से (3) तक का कुल योग= ₹529368**

**(i) उक्त** नियमानुसार ₹1 लाख से अधिक की खरीद पर टैण्डर प्रक्रिया पूर्ण की जानी अपेक्षित थी। अतः ₹529368 के अनियमित व्यय बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

**(ii)** उपरोक्त क्रम संख्याः 3 पर उल्लेखित क्रय किए गए फर्नीचर प्राप्त फर्म से न करके स्थानीय बाजार से किया गया, जबकि उक्त फर्नीचर का क्रय सरकार द्वारा अनुमोदिन दर संविदा प्राप्त फर्म से किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त सामान को सरकार द्वारा अनुमोदित दर संविदा प्राप्त फर्म से क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दर संविदा प्राप्त फर्म की क्रय दरों से तुलना करने उपरान्त किसी भी अधिक भुगतान की अवस्था में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए।

## 14. पारितोषिक वितरण विवरणी अभिलेख तैयार न करना :–

छात्र कल्याण निधि के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोहों के दौरान ईनामों का क्रय किया गया।

| क्र0 सं0 | स्टॉक रजिस्टर क्र0 सं0 | बिल सं0/ दिनांक | फर्म का विवरण | क्रय सामान का विवरण | मात्रा | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 | 471<br>19.5.11 | डी0एस0 ट्रॉफी खड्ड ऊना | स्मृति चिन्ह | 62 | 80 | 4960 |
| 2. | 245 | 473<br>19.5.11 | –यथोपरि– | –यथोपरि– | 5 | 180 | 900 |
| 3. | 247 | 472<br>19.5.11 | –यथोपरि– | स्मृति चिन्ह | 1 | 900 | 900 |
| | | | | चेस्ट फूल | 25 | 12 | 300 |
| | | | | –यथोपरि– | 10 | 15 | 150 |
| | | | | –यथोपरि– | 16 | 10 | 160 |
| | | | | –यथोपरि– | 1 | 20 | 20 |
| | | | | | | **योग** | **₹1510** |
| 4. | 433 | 306 | बी0बी0 एन0 | प्रशंसा ईनाम लकड़ी | 60 | 45 | 2700 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.5.16 | स्पोर्ट्स ऊना | ट्रॉफी (मध्यम) | | | |
| 5. | 434 | 305<br>10.5.13 | —यथोपरि— | प्रशंसा ईनाम लकड़ी ट्रॉफी (बड़ा आकार) | 60 | 50 | 2500 |
| | | **क्र0 सं0 (1) से (5) तक का कुल योग =** | | | | | **₹12570** |

उपरोक्त ईनामों को स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति दर्शाकर वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान खपत दर्शाकर स्टॉक शून्य किया गया, जबकि ईनामों की वितरण विवरणी पारितोषिक वितरण समिति व मुख्यातिथि से प्रतिहस्ताक्षरित कर तैयार की जानी अपेक्षित थी। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार कर आगामी अंकेक्षण में पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

## 15. सरकारी कोष में ₹23900 अधिक जमा करवाने बारे :—

**(i)** जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न समैस्टरों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क व होस्टल किराये के रूप में शुल्क एकत्र कर निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार प्राप्त राशि से कम राशि सरकारी कोष में चालान द्वारा जमा करवाई गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

| क्र0 सं0 | अवधि | शुल्क एवं निधि संग्रह रजिस्टर के अनुसार एकत्रित राशि | चलान द्वारा जमा करवाई गई राशि | दिनांक | कम जमा करवाई गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.6.12 से 17.11.12 | 808150 | 733200 | 11.12.12 | 74950 |
| | | | 723050 | 18.11.13 | 71750 |
| | | | 686200 | 26.9.14 | 43350 |
| | | | | **योग** | **₹190050** |

**(ii)** जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न विद्यार्थियों से शुल्क की एकत्रित राशि से अधिक सरकारी कोष में चालान द्वारा जमा करवाई गई, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

| क्र0 सं0 | अवधि | शुल्क एवं निधि संग्रह के अनुसार वसूली गई राशि | चलान द्वारा जमा करवाई गई राशि | दिनांक | अधिक जमा करवाई गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.1.13 से 20.2.13 | 675000 | 676200 | 19.3.13 | 46200 |
| 2. | 13.6.13 से 3.11.13 | 794800 | 45000 | 19.3.13 | |
| 3. | 4.6.14 से 19.9.14 | 729550 | **₹721200** | | |

उपरोक्त क्रम संख्याः (i) व (ii) पर उल्लेखित सरकारी कोष में कम जमा करवाई गई राशि ₹190050 व अधिक ₹46200 जमा करवाई गई राशि के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 56, दिनांक 27.2.2016 द्वारा संस्थान के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में संस्थान द्वारा स्पष्ट किया कि क्रम संख्याः (प) पर दर्शाई गई कम जमा करवाई गई राशि ₹190050 में से ₹167750 छात्रों को वापिस किए गए हैं व शेष राशि ₹22300 जमा करवाने हेतु शेष है व दिनांक 19.3.2013 को सरकारी फलस्वरूप ₹23900 =(46200–22300) सरकारी कोष में अधिक जमा करवाए गए हैं, जिनका समायोजन आगामी शुल्क एवं निधि संग्रह के समय कर लिया जाएगा व उक्त राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवा दिया जाएगा। अतः उक्त राशि का समायोजन करने उपरान्त वांछित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु आन्तरिक नियन्त्रण को सुदृढ़ करने हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि उक्त प्रकार की अनियमितता की पुर्नावृत्ति न हो सके।

## 16. सरकारी राशि को छात्र कलयाण निधि में जमा करवाने उपरान्त सरकारी कोष में जमा करवाना :–

जांच के दौरान पाया गया कि लेखों की अवधि 6/2012 से 3/2015 के दौरान संस्थान में विभिन्न समैस्टरों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क व होस्टल किराये के रूप में एकत्र की गई राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने उपरान्त कई–कई मासों उपरान्त सरकारी कोष में चालान द्वारा करवाया गया, जबकि नियमानुसार सरकारी राशि को वसूली के अगले कार्यदिवस को सरकारी कोष में जमा करवाना अपेक्षित है। अतः उक्त अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में सरकारी राशि को एकत्रीकरण के आगामी कार्य दिवस को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। सरकारी राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने उपरान्त देरी से सरकारी कोष में जमा करवाने के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है।

**शुल्क एवं निधि**

| क्र0 सं0 | संग्रह रजिस्टर अनुसार एकत्रीकरण की तिथि | एकत्रित राशि ₹ | सरकारी कोष में जमा करवाने की तिथि |
|---|---|---|---|
| 1. | 27.6.2012 | 18000 | 11.10.2012 |
| 2. | 28.6.2012 | 34750 | –यथोपरि– |
| 3. | 29.6.2012 | 31250 | –यथोपरि– |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | 30.6.2012 | 12750 | –यथोपरि– |
| 5. | 2.7.2012 | 65250 | –यथोपरि– |
| 6. | 3.7.2012 | 25500 | –यथोपरि– |
| 7. | 16.7.2012 | 50750 | –यथोपरि– |
| 8. | 28.1.2013 | 30300 | 19.3.2013 |
| 9. | 29.1.2013 | 56100 | –यथोपरि– |
| 10. | 30.1.2013 | 48900 | –यथोपरि– |
| 11. | 7.2.2013 | 72000 | –यथोपरि– |
| 12. | 4.7.2013 | 48000 | 18.11.2013 |
| 13. | 6.7.2013 | 29250 | –यथोपरि– |
| 14. | 8.7.2013 | 39500 | –यथोपरि– |
| 15. | 2.8.2013 | 84000 | –यथोपरि– |
| 16. | 20.1.2014 | 6900 | 18.3.2014 |
| 17. | 21.1.2014 | 30300 | –यथोपरि– |
| 18. | 29.1.2014 | 114300 | –यथोपरि– |

## 17. वास्तविक परिपक्वता मूल्य से कम परिपक्वता मूल्य दर्शाना :–

जांच के दौरान पाया गया कि छात्र कल्याण निधि से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला गगरेट में दिनांक 17.1.2015 को सावधिक खाता संख्याः 65186285412 के अन्तर्गत ₹163963 की राशि 8. 80% दर पर एक वर्षीय अवधि हेतु निवेशित की गई थी, जिसकी परिपक्वता तिथि 17.1.2016 थी व परिपक्वता राशि ₹178875 प्राप्त की जानी अपेक्षित है, लेकिन एफ0डी0 प्रपत्र पर परिपक्वता मूल्य ₹176433 दर्शाया गया है। फलस्वरूप ₹2442 (178875–176433) कम परिपक्वता मूल्य दर्शाया गया है। अतः अन्तर ₹2442 की कम प्राप्ति का मामला सम्बन्धित बैंक से उठाकर स्थिति स्पष्ट की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 18. सरकारी कोष में जमा करवाई गई राशि का समाधान मिलान न करना :–

अंकेक्षण अवधि के दौरान बहुतकनीकी संस्थान द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से एकत्रिक शुल्क को जमा करवाने के बाद समाधान/मिलान सरकारी कोष से नहीं किया गया था, जबकि यह मिलान समय–समय पर किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण अवधि में संस्थान द्वारा समय–समय पर जमा राशियों का समाधान/मिलान सरकारी कोष से किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 19. स्टोर व स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करवाना :–

जांच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों के प्रावधानानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टॉक व स्टोर में शेष पड़े सामान का कमेटी गठित करने उपरान्त भौतिक सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित था। अतः अंकेक्षण अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के दौरान स्टॉक व स्टोर में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने उपरान्त स्टॉक व स्टोर में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

## 20. स्थाई व अस्थाई सामान का (Consumable and non Consumable) अलग–अलग रजिस्टर न रखने बारे :–

जांच के दौरान पाया गया कि निधियों से खरीदे गए स्थाई व अस्थाई सामान हेतु अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया है। अतः तुरन्त प्रभाव से सभी निधियों के स्थाई व अस्थाई सामान के अलग–अलग रजिस्टर तैयार किए जाएं व प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आवंटित करके तदानुसार ही प्राप्ति व खपत स्टॉक प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए, ताकि संस्थान के सामान के प्रत्येक मद की प्रमात्रा सुगमता से ज्ञात हो सके। उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन संस्था द्वारा अंकेक्षण के सुझावानुसार कार्यवाही नहीं की गई है, जोकि अत्यन्त आपत्तिजनक है। अतः अंकेक्षण के सुझावानुसार कार्यवाही की जानी तुरन्त सुनिश्चित की जाए।

**21.** **लघु आपत्ति विवरणी :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

**22.** **निष्कर्ष :–** लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृ0 सं0 : फिन(एल0ए0)एच0(2)सी0(15)(11)(5)114/2000–खण्ड–2–4499–4501 दिनांकः 23.08.2016, शिमला–171002

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

**पंजीकृत**
1. प्रधानाचार्य डा0 बी0 आर0 अम्बेदकर राजकीय बहुतकनीकी संस्थान अम्बोटा, तहसील अम्ब, जिला ऊना को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेंजे।
2. निदेशक (तकनीकी शिक्षा) व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)
3. सचिव (तकनीकी शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–171002

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.